कथक केन्द्र, नई दिल्ली

कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान

(संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली की घटक इकाई)

विवरणिका

kathak
kendra

National Institute of
Kathak Dance

Kathak Kendra, New Delhi

National Institute of Kathak Dance

(Constituent Unit of Sangeet Natak Akademi, New Delhi)

PROSPECTUS

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
कथक केन्द्रः परिचय	3
प्रबन्धन	4
कथक केन्द्र तथा उसकी शाखाएँ	5
प्रशिक्षण	6
कथक केन्द्र के पाठ्यक्रम	6
5–वर्षीय फाउंडेशन कोर्स	7
3–वर्षीय डिप्लोमा (पास) कोर्स	7
3–वर्षीय डिप्लोमा (ऑनर्स) कोर्स	8
2–वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स	8
5–वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (तबला / पखावज)	9
प्रवेश प्रक्रिया	9
शैक्षणिक सत्र	10
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नियत शुल्क राशि	10
सामान्य नियम	10
छात्रवृत्तियाँ	12
निःशुल्क प्रशिक्षण	14
छात्रावास	14
निबन्धन एवं शर्ते	15

Contents

	Page No.
Introduction	18
Management	19
Kathak Kendra and its Centres	20
Training	21
Courses offered by the Kendra	21
5-Year Foundation Course	22
3-Year Diploma (Pass) Course	22
3-Year Diploma (Hons.) Course	23
2-Year Post Diploma Course	24
5-Year Diploma Course (Tabla/Pakhawaj)	24
Admission Process	25
Academic Session	25
Fee Structure for all Courses	26
General Rules	26
Scholarships	28
Freeships	30
Hostel	31
Rules and Regulations of the Hostel	31

कथक केन्द्र

कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान
(संगीत नाटक अकादेमी नई दिल्ली की एक घटक इकाई)

नृत्य शिक्षा के क्षेत्र में कथक केन्द्र देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना संगीत नाटक अकादेमी द्वारा एक घटक इकाई के रूप में सन् 1964 में की गई थी। तब से अद्यपर्यन्त कथक केन्द्र इस नृत्य विधा के उच्च कोटि के कलाकार तैयार करने तथा अन्ततोगत्वा इस उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसार–प्रचार में निरन्तर प्रयत्नशील रहा है।

कथक केन्द्र का मूल उद्देश्य इस नृत्य विधा को समर्पित उच्च स्तरीय मंचीय कलाकार तैयार करना है। इस उद्देश्य को संज्ञान में लेते हुए यहाँ के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। समर्पित गुरुओं तथा प्रशिक्षकों का सतत् संरक्षण प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ प्राप्त है जिसके फलस्वरूप कथक केन्द्र ने ऐसे सैकड़ों सुयोग्य कथक नर्तक तैयार किये हैं जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के साथ–साथ इस नृत्य विधा को लोकप्रिय बनाया है।

वर्ष भर आयोजित होने वाले उत्सवों, गोष्ठियों और कार्यशालाओं जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से कथक केन्द्र इस नृत्य शैली को विकसित करने में अपना योगदान देता आया है। कथक केन्द्र का रंगमण्डल इस अपनी अभिनव और प्रयोगात्मक संरचनाओं के माध्यम से देश–विदेश के एक विस्तृत प्रेक्षक वर्ग इस नृत्य शैली से जोड़ने में सफल रहा है।

कथक केन्द्र का प्रबन्धन संगीत नाटक अकादेमी के कार्यकारिणी बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है, जिसे कथक केन्द्र की सलाहकार समिति तथा केन्द्र के निदेशक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। श्रीमती शान्ता सरबजीत सिंह, उपाध्यक्ष, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली वर्तमान समय में कथक केन्द्र की सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं।

डॉ० चेतना ज्योतिषी ब्योहार

निदेशक

प्रबन्धन

कथक केन्द्र का प्रबन्धन संगीत नाटक अकादेमी की कार्यकारिणी बोर्ड (सभा) के अर्न्तगत है, जिसे कथक केन्द्र की सलाहकार समिति तथा केन्द्र के निदेशक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। संगीत नाटक अकादेमी की कार्यकारिणी सभा द्वारा कथक केन्द्र की सलाहकार समिति के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाते हैं।

कथक केन्द्र सलाहकार समिति के सदस्य

1.	श्रीमती शान्ता सरबजीत सिंह, उपाध्यक्ष, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री रामलाल बरेठ, भोपाल	सदस्य
3.	श्रीमती मंजुश्री चटर्जी, दिल्ली	सदस्य
4.	श्रीमती शशि साँखला, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती शमा भाटे, पुणे	सदस्य
6.	श्री मधुप मुद्‌गल, दिल्ली	सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र गंगानी, गुरु, कथक केन्द्र, दिल्ली	सदस्य
8.	श्री जयकिशन महाराज, गुरु, कथक केन्द्र, दिल्ली	सदस्य
9.	श्री जयन्त कस्तुआर सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10.	डॉ० चेतना ज्योतिषी ब्योहार निदेशक, कथक केन्द्र	पदेन सदस्य

कथक केन्द्र तथा उसकी शाखाएँ

वर्तमान में कथक केन्द्र बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली में स्थित है किन्तु निकट भविष्य में यह किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में हरिजन सेवक संघ के परिसर में स्थानन्तिरत हो जायेगा। (दूरभाष : 011-27651525)। दिल्ली में कथक केन्द्र की दो परिधीय शाखाएँ तथा दो प्रत्यायित शाखाएँ हैं। इनमें उत्तरी दिल्ली एवं दक्षिणी दिल्ली स्थित परिधीय शाखाएँ केन्द्र द्वारा संचालित हैं। पूर्वी दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली की शाखाएँ केन्द्र की प्रत्यायित शाखाएँ हैं। कोलकाता में भी केन्द्र की एक प्रत्यायित शाखा है। उक्त सभी शाखाओं में कथक नृत्य के प्रारम्भिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

कथक केन्द्र की परिधीय शाखा (उत्तरी दिल्ली)
हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009

कथक केन्द्र की परिधीय शाखा (दक्षिणी दिल्ली)
न्यू आर्टिस्ट फोरम, सी–21, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, आई.आई.टी. के दक्षिण,
कुतुब होटल के पीछे, नई दिल्ली–110016

कथक केन्द्र की प्रत्यायित शाखा (पूर्वी दिल्ली)
'आमद'
पूर्भाषा काली मन्दिर, रामा कृष्णा विहार अपार्टमेन्ट्स्
मधुविहार मार्किट के पास, पटपड़गंज एक्स्टेंशन्, दिल्ली–110092

कथक केन्द्र की प्रत्यायित शाखा (पश्चिमी दिल्ली)
'वासुकी नाट्यशाला'
ब्लॉक बी–2 बी, हनुमान मंदिर,
जनकपुरी, छोटी सब्जी मंडी के पास, नई दिल्ली–110058

कथक केन्द्र की प्रत्यायित शाखा (कोलकाता)
पदातिक डांस सेंटर, 6/7 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता–700017

प्रशिक्षण

कथक केन्द्र, कथक नृत्य प्रशिक्षण का उच्चतम राष्ट्रीय संस्थान है जिसका उद्देश्य इस कला को व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवाओं को पूर्णकालिक एवं स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर केन्द्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। केन्द्र के पाठ्यक्रमों में बुनियादी प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है ताकि प्रशिक्षणार्थी को श्रेष्ठ मंच–कलाकार बनाया जा सके। कथक नृत्य के प्रायोगिक और सैद्धान्तिक, दोनों पक्षों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का माध्यम मुख्यतः हिन्दी है।

अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण की अनुदेशन–प्रणालियों का पालन किया जाता हैः–

1. संकाय के सदस्यों द्वारा नृत्य की नियमित औपचारिक प्रशिक्षण कक्षाएँ ली जाती हैं।
2. केन्द्र द्वारा नियमित अंतराल पर एकल एवं समूह सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।
3. प्रस्तुतीकरण / प्रशिक्षण / संगोष्ठी / कार्यशाला / सैद्धान्तिक व्याख्यान के लिए आवश्यकतानुसार विद्वानों / विशेषज्ञों को अल्पकालिक आधार पर आमंत्रित किया जाता है।
4. नियमित समूह अभ्यास सत्र।
5. कथक नृत्य से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण।
6. पुस्तकालय एवं ऑडियो / विडियो लाइब्रेरी।

कथक केन्द्र के पाठ्यक्रम

कथक केन्द्र के तेरह वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को पाठ्यक्रम की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है – प्रारम्भिक पाठ्यक्रम तथा उच्च पाठ्यक्रम। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 5–वर्षीय फाउण्डेशन कोर्स तथा 3–वर्षीय डिप्लोमा (पास) कोर्स, इस तरह कुल आठ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता हैं उच्च पाठ्यक्रम में दो कोर्स उपलब्ध हैं – 3–वर्षीय डिप्लोमा (ऑनर्स) तथा 2–वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की कक्षाएँ केन्द्र की परिधीय शाखाओं एवं प्रत्यायित शाखाओं में तथा उच्च पाठ्यक्रम की कक्षाएँ मुख्य केन्द्र में संचालित की जाती हैं।

प्रारम्भिक पाठ्यक्रम

मुख्यरूप से स्कूल/कालेज जाने वाले विद्यार्थियों की नृत्य–संगीत में रुचि को देखते हुए उन्हें शास्त्रीय कलाओं का विधिवत् प्रशिक्षण लेने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम केन्द्र की दो परिधीय शाखाओं तथा तीन प्रत्यायित शाखाओं में संचालित किया जा रहा है। किशोर प्रतिभाओं में इस नृत्य शैली के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित यह पाठ्यक्रम केन्द्र के उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरक–पाठ्यक्रम का काम भी करता है। कक्षाएँ सप्ताह में तीन दिन, दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे के बीच होती हैं।

5–वर्षीय फाउंडेशन कोर्स

आयु सीमा: 9 – 14 वर्ष
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता : कक्षा तीसरी उत्तीर्ण

तकनीकी अर्हता: इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा देनी होगी जिसमें उनके सामान्य लावण्यपूर्ण अंग–संचालन, हाव–भाव एवं ताल–ज्ञान की परख की जायेगी।

3–वर्षीय डिप्लोमा (पास) कोर्स

आयु सीमा: 14 – 19 वर्ष
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता : कक्षा आठवीं उत्तीर्ण

तकनीकी अर्हता: इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि उसने इस केन्द्र का फाउंडेशन कोर्स कम–से–कम 60 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण किया हो अथवा वह प्रवेश परीक्षा में पहले पाये गये प्रशिक्षण के आधार पर विषय–वस्तु तथा शैली दोनों दृष्टियों से फाउंडेशन कोर्स उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी के समकक्ष पाया जाये। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार छात्र/छात्रा कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करे, यह भी आवश्यक है।

उच्च पाठ्यक्रम

प्रशिक्षणार्थियों को उच्च व्यावसायिक स्तर की प्रदर्शन क्षमता अर्जित कर सशक्त मंचीय कलाकार के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया यह एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाला प्रशिक्षार्थी कथक नृत्य का एकल कलाकार बनने के साथ ही एक प्रशिक्षक के दायित्व का निर्वाह भी कर सकता है। एक सर्वांगीण नर्तक / नर्तकी को नृत्य के साथ–साथ गायन–वादन का ज्ञान होना अत्यावश्यक माना गया है। इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए केन्द्र के उच्च पाठ्यक्रम में मुख्य विषय कथक नृत्य के साथ गायन (हिन्दुस्तानी शास्त्रीय) तथा तबला / पखावज वादन जैसे सहायक विषयों को सम्मिलित किया गया है। नृत्य के शास्त्र पक्ष का ज्ञान नृत्य में गहराई और विस्तार लाता है, इस दृष्टि नियमित शास्त्र कक्षाओं का संचालन भी किया जाता है। शास्त्रीय कलाओं के प्रशिक्षण में एकाग्रता, अवधान और संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गये हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र में योगाभ्यास की नियमित कक्षाएँ लगती हैं। कक्षाएँ प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच सप्ताह में छः दिन होती हैं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 20 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। उच्च पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों में सीधी भर्ती नहीं होती।

3–वर्षीय डिप्लोमा (ऑनर्स) कोर्स

आयु सीमाः 17 – 22 वर्ष

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः कक्षा दसवीं उत्तीर्ण

तकनीकी अर्हताः केन्द्र के डिप्लोमा (पास) कोर्स में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण अथवा कहीं अन्य प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर विषय–वस्तु तथा शैली दोनों दृष्टियों से कथक केन्द्र के डिप्लोमा (पास) कोर्स के समकक्ष विद्यार्थी डिप्लोमा (ऑनर्स) में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम 20 उम्मीदवारों को उनके प्रावीण्य क्रम के आधार पर त्रिवर्षीय डिप्लोमा (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा। साथ ही प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार छात्र / छात्रा कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करे, यह भी आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा नृत्य के प्रायोगिक प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के माध्यम से ली जायेगी।

2–वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स

आयु सीमाः 20 – 26 वर्ष

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण

तकनीकी अर्हताः केन्द्र के डिप्लोमा ऑनर्स में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण विद्यार्थी पोस्ट डिप्लोमा में प्रवेश की

पात्रता रखते हैं। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण प्रथम 20 उम्मीदवारों को उनके प्रावीण्य क्रम के आधार पर 2–वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश परीक्षा नृत्य, गायन अथवा वादन के प्रायोगिक प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के माध्यम से ली जायेगी।

5–वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (तबला / पखावज)

कथक के साथ तबला एवं पखावज की संगत के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह पंच–वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कक्षाएँ दोपहर 12.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच सप्ताह में छः दिन होती हैं। इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधिकतम 5 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है।

आयु सीमाः 14-22 वर्ष

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः 10 वीं उत्तीर्ण

विषय सम्बन्धी अर्हताः इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के योग्य उम्मीदवार में वाद्य सीखने का रूझान तथा लय की जानकारी होना अनिवार्य है ताकि इच्छुक छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर एक सक्षम तबला / पखावज वादक बन सके ।

प्रवेश प्रक्रिया

कथक केन्द्र के प्रारम्भिक तथा उच्च पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र केन्द्र द्वारा निर्धारित तिथि तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र प्रति वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में केन्द्र के कार्यालय से 100 रुपये के नकद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा संगीत नाटक अकादेमी की वेबसाइट www.sangeetnatak.org में कथक केन्द्र के वेब पेज से डाउनलोड कर 100/ के नगद भुगतान अथवा D.D. के साथ केन्द्र के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक से मँगवाने पर रुपये 150/ का बैंक ड्राफ्ट, निदेशक, कथक केन्द्र, नई दिल्ली के नाम देय होगा जो निदेशक, कथक केन्द्र, बहावलपुर हाऊस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजा जा सकता है। प्रवेश परीक्षा हेतु चुने गये आवेदकों की सूची केन्द्र के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा वेब साइट से प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु केन्द्र के फोन (011-23388681, 23385065) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदक के आवेदन पत्र की सर्वप्रथम सम्यक् जाँच की जाने के उपरान्त प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदक को प्रवेश परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रवेश परीक्षा प्रायोगिक प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के माध्यम से ली जाती है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रावीण्य क्रम तथा रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण के इच्छित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

शैक्षणिक सत्र

शैक्षणिक सत्र	: 01 जुलाई से 15 मई
ग्रीष्मकालीन अवकाश	: 16 मई से 30 जून
कार्य दिवस	: सप्ताह में छः दिन हर माह का दूसरा शनिवार छोड़कर।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नियत शुल्क राशि

पाठ्यक्रम	*शुल्क (रुपये)*
फाउंडेशन कोर्स	200 प्रतिमाह
डिप्लोमा (पास) कोर्स	250 प्रतिमाह
डिप्लोमा (ऑनर्स) कोर्स	300 प्रतिमाह
पोस्ट डिप्लोमा कोर्स	350 प्रतिमाह
डिप्लोमा कोर्स (तबला / पखावज)	300 प्रतिमाह
विदेशियों के लिए	1250 प्रतिमाह
प्रवेश शुल्क	200 प्रवेश के समय
पुस्तकालय राशि	100 प्रवेश के समय
जमानत राशि	300 प्रवेश के समय

प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा शुल्क प्रवेश के समय अर्थात् 15 जुलाई को, तत्पश्चात् प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 1–10 अक्टूबर, 1–10 जनवरी तथा 1–10 अप्रैल तक देना होगा। सम्पूर्ण सत्र का शिक्षा शुल्क एक मुश्त भी दिया जा सकता है। 10 तारीख तक फीस जमा न करने पर माह की 1 तारीख से 30 दिन तक 1 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। तब भी फीस न जमा करने की स्थिति में विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

सामान्य नियम

1. केन्द्र के प्रशिक्षणार्थी किसी भी स्वरूप में, केन्द्र से बाहर नृत्य नहीं सीख सकते।
2. प्रशिक्षणार्थी केन्द्र में प्रशिक्षण के दौरान कहीं नौकरी नहीं कर सकेंगे।

3. केन्द्र की समस्त गतिविधियों में भाग लेना प्रशिक्षणार्थी के लिये अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. डिप्लोमा ऑनर्स (तृतीय वर्ष), पोस्ट डिप्लोमा (प्रथम व द्वितीय वर्ष) के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सत्र के दौरान बाहर के कार्यक्रमों में निदेशक की पूर्वानुमति लेकर ही भाग ले सकेंगे। किसी भी स्थिति में ऐसा न करने पर उन्हें केन्द्र से निष्काषित किया जा सकता है।

5. छात्र अपने अतिथि, मित्र या सम्बन्धियों को किसी भी कक्षा, व्याख्यान या पूर्वाभ्यास में शामिल होने के लिए कार्यालय की अनुमति के बिना नहीं बुला सकते हैं।

6. केन्द्र का प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थी से कक्षाओं में नियमित उपस्थिति की अपेक्षा करता है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों में 65 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है जबकि उच्च पाठ्यक्रमों में मुख्य विषय (नृत्य/तबला/पखावज) में प्रायोगिक तथा सैद्धान्तिक दोनों में न्यूनतम 90 प्रतिशत तथा सहायक विषयों (गायन/तबला/पखावज/योगाभ्यास) में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति नियत प्रतिशत से कम पाई जाने पर उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा जो कि अनुत्तीर्ण होने के समतुल्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को अगले सत्र में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पुनः प्रवेश का अवसर भी विद्यार्थी को मात्र एक बार ही दिया जाएगा।

7. प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की गणना मुख्य विषय के साथ सहायक विषयों में उसकी उपस्थिति से की जायेगी। केवल नृत्य की कक्षा में उपस्थित होने तथा सहायक विषय (गायन, तबला/पखावज़ वादन तथा योगाभ्यास की कक्षाओं अनुपस्थित रहने की स्थिति में उस दिन की उपस्थिति छात्रवृत्ति के लिये नहीं गिनी जायेगी।

8. वार्षिक परीक्षा में मुख्य विषय के प्रायोगिक पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थी अगले वर्ष पुनः प्रवेश लेने पर ही अपना प्रशिक्षण ज़ारी रख सकेंगे। यह सुविधा भी मात्र एक बार ही दी जायेगी और साथ ही पुनः प्रविष्टि पाने वाले प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र की ओर से दी जाने वाली समस्त आर्थिक सुविधाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

9. किसी सत्र में किसी विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में पर उसे अगले सत्र में उसी कक्षा में पुनः प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी। यह अवसर भी मात्र एक बार ही दिया जायेगा।

10. वार्षिक परीक्षा में मुख्य विषय के सैद्धान्तिक पत्र अथवा सहायक विषय (अधिकतम दो विषयों) के आायोगिक पत्र में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को पूरक परीक्षा देने का एक अवसर दिया जायेगा। पूरक परीक्षा में भी पुनःअनुत्तीर्ण होने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को किसी भी स्थिति में न तो प्रशिक्षण जारी रखने दिया जायेगा और न ही केन्द्र के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

11. उच्च पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में अर्थात् नृत्य व्यावहारिक, सैद्धान्तिक एवं मंच प्रदर्शन परीक्षा तथा सभी सहायक विषयों में अलग–अलग तथा संयुक्त रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

12. 30 दिनों तक बिना सूचना दिए कक्षा में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम केन्द्र के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जाएगा। विषेश परिस्थितियों को देखते हुए पुनः प्रवेश केवल केवल एक ही बार दिया जायेगा।

13. प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षणार्थी को सफेद वेश पहनना अनिवार्य होगा। छात्राएँ सफेद सलवार, छोटे गले तथा बिना चाक वाली कमीज़ तथा दुपट्टा पहनेंगी तथा छात्र सफेद कुर्ता–पायजामा पहनेंगे।

14. मोबाईल फोन का प्रयोग कक्षा के दौरान वर्जित होगा।

15. उक्त नियमों का अतिक्रमण करने वाले प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, तथा उसे केन्द्र से निष्काषित भी किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति

उच्च पाठ्यक्रम में मुख्य विषय के रूप में कथक नृत्य के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश पाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र छात्रवृत्ति उपलब्ध कराता है। डिप्लोमा (ऑनर्स) में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रति छात्र 2000 रूपये प्रतिमाह तथा पोस्ट डिप्लोमा में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रति छात्र 3000 रूपये प्रतिमाह की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति किसी पाठ्यक्रम के लिए मात्र एक बार दी जायेगी। अनुत्तीर्ण होकर पुनः प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। तबला और पखावज के डिप्लोमा कोर्स के लिये कुल 10 छात्रवृत्तियाँ (तबला 5 तथा पखावज 5) नियत की गई हैं। जो प्रति छात्र 1000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब प्रदान की जायेगी। तबला और पखावज के डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रावीण्य क्रम के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी।

तबला/पखावज में छात्रवृत्ति के लिए अर्हक अंक कम से कम 65 प्रतिशत होने चाहिए। जिन प्रशिक्षणार्थियों को इस केन्द्र से छात्रवृत्ति मिल रही हो, वे किसी अन्य स्त्रोत से वज़ीफा/छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं, किन्तु उन्हें इस बात की छूट होती है कि वे इस केन्द्र की छात्रवृत्ति या किसी अन्य छात्रवृत्ति में से कोई भी एक छात्रवृत्ति ले सकते हैं।

शैक्षणिक सत्र 2011–2012 से कथक नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हरिजन सेवक संघ के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्तियाँ राशि रुपये 1000 प्रतिमाह देने का प्रावधान भी कथक केन्द्र द्वारा किया गया है।

निबन्धन एवं शर्ते

केन्द्र के उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर छात्रवृत्ति पाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों का पालन करना होगाः

1. 10 रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक ज़मानती के माध्यम से इस आशय का लिखित शपथ–पत्र देना होगा कि यदि वह प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चला जाता है (किन्हीं बाध्यकर परिस्थितियों के अलावा) तो उसे नियमानुसार छात्रवृत्ति की पूरी राशि ब्याज सहित वापिस करनी होगी।

2. किसी राजपत्रित अधिकारी से रुपये 30000/– (पोस्ट डिप्लोमा के लिये) तथा रुपये 20000/– (डिप्लोमा ऑनर्स के लिये) तथा रुपये 10000/– (डिप्लोमा तबला/पखावज के लिये) की ज़मानत विधिवत् अनुप्रमाणित करा कर देनी होगी।

नोटः प्रशिक्षणार्थी के नाबालिग होने की स्थिति में उसके अभिभावक/संरक्षक के द्वारा उक्त शपथ–पत्र निष्पादित किया जायेगा।

3. छात्रवृत्ति पाने वाले प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 20 छुट्टियाँ स्वीकृत होंगी जिसमें 10 दिनों का चिकित्सा सम्बन्धी अवकाश सम्मिलित है। 20 छुट्टियों से अधिक छुट्टियाँ लेने वाले प्रशिक्षणार्थी की छात्रवृत्ति की राशि में अनुपाततः कटौती की जायेगी।

4. निदेशक के विशेषाधिकार के तहत उपस्थिति में दी जाने वाली दस प्रतिशत तक की छूट छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में मान्य नहीं होगी।

5. प्रशिक्षणार्थी द्वारा सत्र में मान्य/स्वीकृत छुटिट्यों का लाभ न ले पाने की स्थिति में, उन छुटिट्यों का उपयोग अगले सत्र में नहीं किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की गणना मुख्य विषय के साथ सहायक विषयों में उसकी उपस्थिति से की जायेगी। केवल नृत्य की कक्षा में उपस्थित होने तथा सहायक विषय (गायन, तबला/पखावज़ वादन तथा योगाभ्यास) की कक्षाओं अनुपस्थित रहने की स्थिति में उस दिन की उपस्थिति छात्रवृत्ति के लिये नहीं गिनी जायेगी।

निःशुल्क प्रशिक्षण

केन्द्र में कुल 45 प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है। फाउंडेशन कोर्स के लिए 15, डिप्लोमा (पास) कोर्स के लिए 10, डिप्लोमा (ऑनर्स) कोर्स के लिए 15 तथा तबला एवं पखावज दोनों को मिलाकर 5 ज़रूरतमंद प्रशिक्षणार्थियों को यह सुविधा प्रदान की जायेगी। निःशुल्क शिक्षा उन प्रशिक्षाणार्थियों को प्रदान की जाती है जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की कुल मासिक आय 8000 रूपये से अधिक न हो। आय का विवरण राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

छात्रावास

उच्च पाठ्यक्रम में अध्ययनरत दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी भारतीय विद्यार्थियों को छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। छात्रावास में भोजन निःशुल्क दिया जायेगा तथा छात्रावास शुल्क के तौर पर प्रतिमाह निम्नलिखित आधार पर राशि देनी होगी।

छात्रावास प्रभार

किराया प्रति सीट	रुपये 200 प्रति माह
विद्युत एवं जल प्रभार	रुपये 35 प्रति माह
साफ–सफाई तथा अन्य प्रभार	रुपये 20 प्रति माह
चिकित्सा प्रभार	रुपये 5 प्रति माह
जमानत राशि	रुपये 500 (किसी सम्पूर्ण कोर्स में एक बार)

प्रभार का भुगतानः छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना होगा अन्यथा माह की 1 तारीख से माह के अन्त तक 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जायेगा। 30 तारीख के बाद छात्र/छात्रा को छात्रावास छोड़ना पड़ेगा।

छात्रावास के नियम व विनियम

1. छात्रावास की सुविधा किसी एक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान वार्षिक आधार पर एक बार ही दी जाएगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

2. शैक्षणिक सत्र के समाप्त होने पर अगले सत्र के लिए छात्र/छात्रा को दोबारा आवेदन करना होगा। विद्यार्थी के आवेदन पर विचार करते समय छात्रावास में पिछले वर्ष उनके आचरण की सावधानीपूर्वक छानबीन की जाएगी। यदि यह पाया गया कि उन्होंने अपेक्षित अनुशासनिक व्यवहार नहीं किया है तो उसे छात्रावास में दोबारा रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रावास के भोजनालय में भोजन करना होगा। विद्यार्थी अपने कमरों में चाय, नाश्ता आदि नहीं बना सकेंगे।

4. शैक्षणिक सत्र के बीच में विद्यार्थी छात्रावास छोड़ नहीं सकेंगे।

5. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र/छात्राएँ समय समय पर बनाए जाने वाले अनुशासनिक नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे। उनसे आशा की जाती है कि वे सामाजिक मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगें।

6. छात्रावास में मादक पदार्थो का सेवन करने की पूर्ण मनाही है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी छात्र/छात्रा को छात्रावास से निकाल दिया जाएगा।

7. ग्रीष्मकालीन अवकाश (16 मई से 30 जून तक) के दौरान किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी।

8. प्रत्येक आवासी छात्र/छात्रा के माता पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित व्यक्तियों की सूचना केन्द्र को भेजें:—

   (क) जिन्हें छात्रावास में छात्र/छात्रा से मिलने की अनुमति है।

   (ख) जिस परिवार के साथ वह कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है।

9. छात्र / छात्रा को अपने आगँतुकों से मात्र शनिवार तथा रविवार को प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तथा सायं 6.00 से 8.00 बजे के मध्य वार्डन के कार्यालय में मिलने की अनुमति दी जाएगी।

10. किसी भी मुलाकाती को छात्रावास के कमरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. विद्यार्थी के माता–पिता शैक्षणिक सत्र में 2 बार अधिकतम 3 दिनों के लिये छात्रावास में आकर रुक सकेंगे। इसके लिये उन्हें रुपये 100 / – प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अग्रिम रुप में जमा करना होगा।

अनुपस्थिति / अवकाश आदि

12. छात्र / छात्रा छात्रावास से बाहर जाते समय तथा वापिस आने पर रजिस्टर में समय दर्ज करेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे।

13. छात्र / छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 15 मार्च से 15 अक्तूबर तक रात्रि 9.30 बजे और 16 अक्तूबर से 14 मार्च तक रात्रि 09.00 बजे तक छात्रावास में लौट आएं यदि विलम्ब होने की आशंका हो तो उसके लिए छात्रावास अधीक्षिका से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

14. छात्र / छात्राओं को छात्रावास अधीक्षिका की लिखित अनुमति के बिना छात्रावास से रात में अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले छात्र / छात्राओं को छात्रावास से निकाल दिया जाएगा।

15. छात्रावास से अवकाश लेने के लिए सभी छात्र–छात्राओं को पहले ही लिखित रूप से छात्रावास अधीक्षिका को अपना प्रार्थना पत्र देना होगा।

16. तीन सप्ताह से अधिक की अवधि के अवकाश के बाद छात्रावास में लौटने वाले प्रत्येक छात्र / छात्रा छात्रावास अधीक्षिका तथा निदेशक को अवश्य सूचित करेंगें।

17. एक सत्र में 20 दिन से अधिक किसी भी छात्र / छात्रा को छुट्टी नहीं दी जाएगी।

फर्नीचर एवं उपस्कर

18. छात्र / छात्रा की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह कमरे तथा फर्नीचर की देखभाल स्वयं करे। ऐसी किसी क्षति का खर्च छात्र / छात्रा से लिया जायेगा, जो स्वाभाविक टूट–फूट के अतिरिक्त हुई हो। यदि छात्रावास की सम्पत्ति

को नुकसान पहुँचाने वाले का पता नहीं चलता, उस स्थिति में छात्रावास के सभी छात्र/छात्राओं को सामूहिक रूप से उस नुकसान का खर्चा देना होगा या ऐसी घटना किसी कमरा विशेष में घटी हो, तो उसमें रहने वाले छात्र/छात्रा से व्यय वसूल किया जाएगा।

19. छात्रावास को छोड़ने से पहले छात्र/छात्रा को छात्रावास अधीक्षिका से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि कमरे में उसे उपलब्ध कराए गए सभी समान तथा उपस्कर ठीक स्थिति में है।

20. कोई भी छात्र/छात्रा विद्युत या अन्य यन्त्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

21. कमरे में रहने वाले छात्र/छात्रा प्रतिदिन कमरा छोड़ते समय बिजली तथा अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच बन्द करेंगें।

22. बिजली की प्रेस के अलावा अन्य किसी भी तरह के व्यक्तिगत विद्युत उपकरण का उपयोग छात्रावास में निषिद्ध है।

छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से छात्र/छात्रा को केन्द्र व छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

Kathak Kendra

National Institute of Kathak Dance

(A Constituent Unit of Sangeet Natak Akademi, New Delhi)

Kathak Kendra, the National Institute of Kathak Dance is the premier dance institution of the country in the field of dance education. It was established by the Central Sangeet Natak Akademi in 1964 as one of its constituent units. Since then the Kendra has been working with a motto to sculpt professional performers in the fields of Kathak Dance and eventually to promote this North Indian Classical Dance style.

Kendra's main objective is to train proficient dancers committed to pursuing the art as profession. To attain this objective the training courses are designed with great attention and in a manner to prepare artistes of highest professional standards. Besides, the Kendra has the dedicated service of a team of highly qualified and eminent masters as its faculty member. As a result we have been able to produce hundreds of capable Kathak dancers, many of whom are now nationally and internationally well-known.

Over the years the Kendra has been wholly involved to promote this North Indian Classical Dance style through its innovative and promotional activities. Festivals, seminars and workshops are organized in the Kendra through out the year involving Kathak artistes from India and abroad. The Repertory Wing of the Kendra strives to enrich the repertoire and techniques of Kathak dance through experimental work.

Since the Kendra is a constituent unit of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi, its management vests in the Executive Board of the Akademi which is assisted by an Advisory Committee and the Director of the Kendra. Smt. Shanta Serbjeet Singh, Vice-Chairman, Sangeet Natak Akademi is presently the Chairman of Advisory Committee, Kathak Kendra.

Dr. Chetana Jyotishi Beohar
Director

Management

The management of Kathak Kendra vests in the Executive Board of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi which is assisted by an Advisory Committee and the Director of the Kendra. The members of the Advisory Committee are nominated for a period of 5 years by the Board of the Akademi.

Members of Advisory Committee, Kathak Kendra, New Delhi

1.	Smt. Shanta Serbjeet Singh, Vice-Chairman, Sangeet Natak Akademi, New Delhi	Chairman
2.	Shri Ram Lal Bareth, Bhopal	Member
3.	Smt. Manjushree Chatterjee, Delhi	Member
4.	Smt. Shashi Sankhala, Jaipur	Member
5.	Smt. Shama Bhate, Pune	Member
6.	Shri Madhup Mudgal, Delhi	Member
7.	Shri Rajendra Kumar Gangani, Guru Kathak Kendra New Delhi	Member
8.	Shri Jai Kishan Maharaj, Guru Kathak Kendra New Delhi	Member
9.	Shri Jayant Kastuar Secretary, Sangeet Natak Akademi, New Delhi	Ex-officio member
10.	Dr. Chetana Jyotishi Beohar Director, Kathak Kendra, New Delhi	Ex-officio member

Kathak Kendra and its Centres

At present the Kenda is stationed at Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi which is likely to be shifted in the premises of Harijan Sevak Sangh, Kingsway Camp, Delhi shortly. (Ph: 011-27651525). Kathak Kendra has its two Peripheral and three Accredited Centres. The North Delhi and South Delhi Peripheral Centres are administrated by the Kendra itself whereas the East and West Centres are the Accredited centres. The Kendra has an Accredited Centre at Kolkata too. The Elementary courses are conducted in these centres.

1. **Kathak Kendra's Peripheral Centre (North Delhi)**
   Harijan Sevak Sangh, Kingsway Camp
   Delhi-110009

2. **Kathak Kendra's Peripheral Centre (South Delhi)**
   'New Artiste Forum'
   C-21 Qutub Institutional Area
   South of IIT, Behind Qutub Hotel
   New Delhi-110016

3. **Kathak Kendra's Accredited Centre (East Delhi)**
   'Aamad'
   Purbhasha Kali Mandir, Rama Krishna Vihar Apartments
   Near Madhu Vihar Market, Patparganj Extension
   Delhi-110092

4. **Kathak Kendra's Accredited Centre (West Delhi)**
   'Vaasuki Natyashala'
   Block-B/2B, Hanuman Mandir, Janakpuri
   Near Chhoti Sabji Mandi
   New Delhi-110058

5. **Kathak Kendra's Accredited Centre (Kolkata)**
'Padatik Dance Centre'
6/7 Acharya Jagdish Chander Bose Road
Kolkata-700017

Training

The Kendra's curriculum lays a pointed stress on the basic and complete training aimed at preparing students for a professional career in dance. Keeping this in view curriculum has been designed. The training covers both the practical and theoretical aspects of Kathak Dance. The medium of instruction is mainly Hindi. The following methods of instruction are adopted for achieving the training objectives:-

i. Regular formal training classes in dance by faculty members;

ii. Solo and group public performances at regular intervals;

iii. Short term visits of experts from outside the Kendra for production / training / seminars / workshop / theory lectures etc;

iv. Regular group practice sessions;

v. Study tour of the places related to Kathak;

vi. Book and Audio / Video Library.

Courses offered by the Kendra

The Kendra's training programme has been carefully structured and is comprehensive. Spread over a period of 13 years the various courses can take a student through an elementary foundation course (for school/college going students) to the highest level

of professional training. 13 years training programmes of Kathak Kendra can be divided into two parts on the basis of courses offered – Elementary Course and Advance Level Course. Elementary course is consists of 5-year Foundation Course and 3-year Diploma (Pass) Course in total 8 years training programme. Whereas the advance course has 3-year Diploma (Hons.) Course and 2-year Post Diploma Course. The classes for elementary courses are conducted in the Peripheral and Accredited Centres of the Kendra and the advance course is carried in the main Kendra.

Elementary Courses

Elementary Course is being provided mainly to encourage school/ college going students. This course has been designed for the purpose of promoting this form of dance amongst young talents and serves as a feeder course for advanced level course of the Kendra. Classes are held in the afternoon session between 3.00 pm to 7.00 pm on three days in a week.

5-Year Foundation Course

Age Limit: 9 to 14 years

Minimum Education Qualification: Class 3rd Pass

Technical Qualification: Entrance Examination would be undertaken for seeking admission for this course, in which students are tested for their graceful body movements, aptitude and sensitivity to rhythms.

3-Year Diploma (Pass) Course

Age Limit: 14 to 19 years

Minimum Education Qualification: Class 8th Pass

Technical Qualification: Regular students who have passed the foundation course of

the Kendra with at least 60% marks **OR** any outsider who, if not gone through the foundation course of Kendra but possesses an equal training, in terms of content and style, is eligible to apply for this course. The eligible applicants will have to go through a practical admission test. Selection of trainee will purely on meritorious basis.

Advance Courses

This is a full time course, specially designed to prepare students for a high standard performance potential so that after completing the course, he/she can become a successful stage artist. This is an advance level full time course, designed with a view to prepare the students for acquiring performance capabilities of high professional standards. After completing the course, he/she can become a Kathak soloist and can assume the responsibilities of a teacher. Besides the primary dance course, a student in the Diploma (Hons.) course will have to undergo training in Vocal (Hindustani Classical) / Tabla / Pakhawaj as allied subjects. Training in Yoga is also compulsory for the students of this Course. Knowledge of theoretical aspects of dance brings depth in dance. For this purpose, theory classes are organized regularly. Classes are held for six days in a week between 9.00 am to 7.00 pm. Number of seats available for admission to the first year of the course is limited to 20. No direct admissions are given in 2nd Year and onwards.

3-Year Diploma (Hons.) Course

Age Limit : 17 to 22 years

Minimum Educational Qualification: 10th Pass

Technical Qualification : Regular students who have passed the Diploma (Pass) course of the Kendra with at least 60% marks OR any outsider who, if not gone through the Diploma (Pass) course of Kendra but possesses an equal training, in terms of content

and style, is eligible to apply for this course. The eligible applicants will have to go through a practical performance test and an interview thereafter. Selection of trainee will purely on meritorious basis. Number of seats available for admission to the first year of the course is limited to 20.

2-Year Post Diploma Course

Age Limit : 20 to 26 years

Minimum Educational Qualification: 12th Pass

Technical Qualification: Diploma (Hons.) passed students of Kendra with atleast 65% are eligible to apply for Post Diploma course. The eligible applicants will have to go through a practical performance test dance, vocal and percussion instrument playing, followed by an interview. Selection of trainee will purely on meritorious basis. Number of seats available for admission to the first year of the course is limited to 20.

5-Year Diploma Course in Tabla/Pakhawaj

Considering the importance of Tabla and Pakhawaj accompaniment with Kathak Dance, this 5 year special course has been prepared. Classes for the course are held 6 days a week between 12.00 a.m. to 7.00 p.m. Maximum 5 students can be admitted in the first year of this course on the basis of entrance exam.

Age Limit : 14 to 22 years

Minimum Educational Qualification: 10th Pass

Technical Qualification: Talented candidates must have aptitude for percussion playing and sensitivity to rhythms so that the student could become a capable Tabla / Pakhawaj Artist.

Admission Process

Students, seeking admission in Elementary Courses (Foundation and Diploma (Pass) Course) or in Advance Course of Diploma (Hons.) of Kathak Kendra, may apply in the prescribed form by the given dates. Application forms may be obtained from the office of the Kathak Kendra from 1st week of June onwards on payment of Rs. 100/- in cash. For delivery by post, a bank draft for Rs.150/- payable at New Delhi must be sent in the name of Director, Kathak Kendra. Application form may also be downloaded from the web page of Kathak Kendra using web site of Sangeet Natak Akademi i.e www.sangeetnatak.org. For any other enquiry Kendra may be contacted on 011-23388681, 23385065.

The received application forms are verified and elligible applicants are invited for the admission test which has a practical performance followed by an interview. Applicants thus qualifying in the admission test are admitted to the appropriate training course purely on merit basis and availability of seats.

Admission Test results are declared by last week of June. The results may be obtained either from the Notice Board displayed at the Kendra office or from the website.

Students selected for Advance course of Kendra and for Elementary Course of Kendra's Centres, will have to complete all formalties related to admission till 15th July. Regular classes will start from 16th July onwards.

Academic Session

Academic Session: July 1 – May 15

Summer Vacation: May 16 – June 30

Working Days: Six days a week except Second Saturday of the month.

Fee structure for various courses

Name of Courses	Fees payable
Foundation	Rs. 200/- p.m.
Diploma (Pass)	Rs. 250/- p.m.
Diploma (Hons.)	Rs. 300/- p.m.
Post Diploma	Rs. 350/- p.m.
Diploma (Tabla / Pakhawaj)	Rs. 300/- p.m.
For Foreigners	Rs. 1250/- p.m.
Admission Fees	Rs. 200/- at the time of admission
Security Deposit (Refundable)	Rs. 300/- at the time of admission
Library Money (Non-Refundable)	Rs. 100/- at the time of admission

Tuition fee may be paid for the whole academic session or quarterly by 15th July and 1st to 10th of October / January / April. After the due date, a fine of Rs.1/- per day will be charged for the fee received within 30 days from the 1st day of the month. After that the students name will be struck off for non-payment of fee.

General Rules

1. Students of the Kendra are not allowed to enter into any other arrangement for training in dance outside the Kendra.

2. Students are not allowed to undertake outside employment during their term of study in Kendra.

3. It is essential for the students of the Kendra to participate in all the activities of the Kendra, otherwise penal action may be taken against him.

4. Students of Diploma (Hons.) - 3rd Year and Post Diploma - 1st & 2nd Year, can participate in outside programmes with prior permission from the Director. If they become a part of any programme without obtaining prior permission they may be rusticated from Kendra.

5. Students are not allowed to invite visitors or friends or relatives to any of the classes, lectures or rehearsals without seeking permission from the kendra's office.

6. The students are expected to be regular in their classes. The minimum percentage of attendance for elementary courses is 65%. For advance courses the minimum required percentage of attendance is – 90% (Dance / Tabla / Pakhawaj) for both practical & theory. 80% attendance is required in Vocal / Tabla / Pakhawaj and Yoga as allied subjects. A student will NOT be allowed in any case, to appear in examinations if he/she falls short of required attendance which will tantamount to failure. In such cases only ONCE the student will be given a chance for re-admission in the next session.

7. If a student attends only dance class and fails to attend the allied subject classes his / her attendance will not be taken into account for that day so far as calculation for the scholarships money is concerned.

8. Student, disqualifying in practical paper of main subject in the final examination are declared FAILED. Such students may complete their course by taking re-admission in next academic session. Only ONCE the student will be given a chance for re-admission in the next session. In case of any re-admission the student will be deprived off all financial facilities provided by the Kendra.

9. If a student fails or remains absent in final examinations he/she will have to take re-admission in next academic session. Only ONCE the student will be given a chance for re-admission in the next session.

10. A student failing in theory paper of main subject or in practical of any allied subject(s) (max. of two subjects) in the final examination of any academic session, will have to undergo supplementary examination. Student diqualifying or being absent in the supplementary exam will neither be allowed to continue his/her training nor would be admitted in any other course of the Kendra.

11. It would be essential for the students to pass in each subject individually and in aggregate, i.e. Dance practical, stage performance, dance theory, Vocal, Tabla/Pakhawaj and Yogabhyaas exams.

12. If a student is absent without written application and permission for continuously 30 days, his/her will be struck-off from the rolls of the Kendra. Re-admission will be considered only ONCE in special circumstances.

13. It would be essential for the students to wear white dress during the term of their training seesion. Girls will wear white Salwaar-Kameez. No low neck and slits are allowed. Boys will wear white Kurta-Payjama.

14. Use of mobile phone is strictly prohibited during class hours.

15. Students violating the rules are liable to disciplinary action or even may be expelled from the Kendra.

Scholarships

The Kendra provides scholarships to all the students admitted in the Advance Course of Kathak Dance. A student admitted in Diploma (Hons.) course gets Rs. 2000/- p.m. for the entire period of the course whereas Post Diploma students get Rs. 3000/- p.m. for two years. Besides this a total number of 10 scholarships of Rs. 1000/- p.m. each are provided for the special course of Diploma in Tabla/Pakhawaj, (5 for Tabla and 5 for Pakhawaj). The scholarships in Tabla/Pakhawaj are awarded on the basis of the marks

obtained in the annual examination by the student. The minimum qualifying marks for scholarship is 65%.

A student receiving scholarship from the Kendra will not receive stipend/scholarship from any other source; he/she, however, will have the option to choose between the two.

Kathak Kendra has decided to provide 10 special scholarship of Rs. 1000/- p.m. each to the student of Schedule Tribe/Schedule Caste/Other backward classes recommended by Harijan Sevak Sangh, Delhi seeking admission in the Kendra from the session 2011-2012 onwards.

Terms and Conditions (for Scholarship)

A student awarded a scholarship in Post Diploma/ Diploma (Hons.)/ Diploma (Tabla or Pakhawaj) by the Kendra has to submit the following documents and he/she will be abided by the following:

(i) A written agreement through a surety on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- that if the student decides to discontinue the training before the annual examination (except on compelling circumstances), he/she shall return all the money paid to him/her plus interest as per the rule.

(ii) A surety of Rs. 30000/- (for Post Diploma Course), Rs. 20000/- (for Diploma (Hons.) Course), and Rs. 10000/- (for Diploma Course Tabla/Pakhawaj) duly attested by a Gazetted Officer.

Note: If the student is a minor, his/her parent/guardian has to execute the agreement.

(iii) No deduction of Scholarship amount will be made for leave taken by the scholarship holder on medical ground if it is within 10 days in a year. If, however,

leave exceeds more than ten days, proportionate deduction will be made from the scholarship amount. (Leave on medical grounds should be supported with medical certificate from a registered physician.)

(iv) The Director has the power to condone shortfall in attendance upto 10% for the purpose of examination, but this will not be operative for the purpose of calculating deduction in the percentage for the Scholarship amount.

(v) The students selected for award of scholarships will be allowed a total of 20 days leave in an academic year. Leave not availed during a particular year, will not be carried over to the next year. Not more than 8 days leave will be granted at a stretch except on emergent circumstances.

(vi) If a student attends only dance class and fails to attend the allied subject classes his / her attendance will not be taken into account for that day so far as calculation for the scholarships money is concerned.

Freeships (Exemption from payment of Tuition Fees)

Forty Five Freeships are awarded to deserving candidates as under:-

Students in Dance Courses =		**40**
Foundation Course	15	
Diploma (Pass)	10	
Diploma (Hons.)	15	
Students in Tabla & Pakhawaj Courses		**05**

Freeships are awarded to deserving candidates, whose parents / guardians total monthly income does not exceed Rs.8,000/-. The income statement is required to be certified by a Gazetted officer.

Hostel Facility

Outstation students seeking admission in the Advance Courses have to compulsorily stay in the hostel during their entire training period. Food facilities will be provided free of cost by the Kendra. The students will have to pay a token amount for the hostel given as follows:

Hostel Charges:

Rent seat	Rs. 200/- per month
Electricity & Water Charges	Rs. 35/- per month
Cleaning & Misc. Charges	Rs. 20/- per month
Medical Charges	Rs. 5/- per month
Hostel Security	Rs. 500/- (once in entire course)

Rules and regulations of the hostel

The hostel accommodation will be provided only for completion of one course. In any case, the hostel accommodation will not be provided to student who fails in the examination.

1. The Hostel accommodation will be provided only for completion of one course. In any case, the hostel accommodation will not be provided to student who fails in the examination.

2. Admission to the students will be given on yearly basis. The boarder wishing to continue in the hostel has to apply afresh at the end of each academic session. While considering application of a boarder, her conduct in the hostel for the preceding year will be carefully reviewed. If it is found that one has not behaved in the desired disciplined manner, continuation in the hostel may not be permitted.

3. It will be compulsory for the boarders to have their food etc. in the Common Mess in the hostel. This will be a condition for getting accommodation in the Hostel. Preparing of tea, refreshment, meal etc. inside the rooms is prohibited.

4. A boarder is not expected to withdraw from boardership before the end of the academic session.

5. All inmates of the hostel will be bound by the disciplinary rules made from time to time. They are expected to maintain dignity and decorum conducive to harmonious community living.

6. Serving or consuming alcoholic drinks and smoking in the hostel is prohibited. Any violation of this rule will make the offender liable to be expelled from the hostel.

7. No student is allowed to remain in the hostel during the Summer Vacations (i.e. from 16 May – 30 June).

8. The parents of each student are required to send a list of persons:

   (A) Name & the address of the person(s) who are allowed to visit the student at the hostel.

   (B) Name & the address of the Local Guardian to whom the student can visit on weekends or holidays.

9. Students will be allowed to meet visitors only on Saturdays and Sundays between 8.00 – 10 a.m. and 6.00 – 8.00 p.m. in the Hostel's office.

10. No visitors will be allowed to enter the hostel rooms.

11. Only parents are allowed to stay with boarder for 3 days maximum twice in a session on payment of Rs.100/- per day per person as boarding charge.

Leave of absence etc.

12. Students while going outside the hostel and returning will sign and write the time in the register.

13. Students are expected to return to the hostel by 9.30 p.m. from March 15 to October 15, and by 9.00 p.m. from October 16 to March 14. Leave for being late should be obtained beforehand from the Warden / Director.

14. Students are not allowed to be absent for the night without written permission from the Director. Boarders violating this rule may be expelled from the hostel.

15. All applications for leave of absence from the hostel must be made in writing in advance to Director.

16. Every boarder on returning to the hostel after a period of leave exceeding three weeks must report to Director.

17. In a session, students can avail a leave of maximum 20 days.

Furniture and fixtures

18. Care of the room and of the furniture will be responsibility of the boarder. Boarders will be charged for any damage caused which is not due to fair wear and tear. Damage to hostel property may, when not traceable to individuals, be charged from all those in residence or if it occurs in a particular room, from the boarders concerned.

19. Before finally leaving the hostel, a student must obtain a certificate from the Warden that all the furniture and equipments provided to her in the room are in good condition.

20. No one shall tamper with electric and other fittings.

21. The inmates of a room shall switch off the lights and other electrical appliances before leaving the room, everyday.

22. Personal Electrical Appliances NOT allowed accept electric press.

Students violating the rules may be expelled from the hostel.